राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2244, 2245 व 2246/2015.. जिला : .जयपुर.
मैसर्स बालाजी लाईफ स्टाईल टैक्नोलोजिज प्रा.लि. जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान,वृत–प्रथम, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री सुनील शर्मा,सदस्य** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा,सदस्य**	र
29.12.2015	अपीलार्थी की ओर से श्री पंकज घीया,अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये तीनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 17/18.12.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये है, जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के लिए पारित कर निर्धारण पृथक–पृथक आदेश दिनांक 19.10.2015 में कायम मांग राशि क्रमशः रू. 18,25,818/–,44,08,878/– एवं 82,72,164/– पर रोक लगाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 9,68,364/–, 24,21,460/– एवं रू.47,10,702/– पर रोक लगाते हुए शेष कमशः राशि रू. 8,57,454/–,19,87,418/– एवं 35,61,462/–की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है । प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण किये जाने पर आलौच्य वर्ष 2009–10, 2010–11 व 2011–12 के दौरान पाा गया कि व्यवहारी द्वारा टैबलेट के साथ टैबलेट बैट्री एवं टैबलेट चार्जर तथा लेपटॉप के कम्पोजिट बैगपैक की बिकी के साथ लैपटॉप बैट्री एवं लेपटॉप चार्जर/एडोप्टर की बिकी पर उसके द्वारा 5 प्रतिशत की दर से वैट वसूल किया गया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पृथक–पृथक आदेश दिनांक 19.10.2015 को पारित करते हुए उक्त वस्तुओं को 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अन्तर कर, ब्याज आरोपित किया तथा करापवंचन किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत कर की दोगुनी शास्ति आरोपित करते हुए मांग सृजित की गई है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित माग राशि क्रमशः रू.18,25,818/–,44,08,878/– एवं 82,72,164/– पर रोक लगाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 9,68,364/–, 24,21,460/– एवं रू.47,10,702/– पर रोक लगाते हुए शेष कमशः राशि रू. 8,57,454/–,19,87,418/– एवं 35,61,462/–की वसूली रोक लगाने से इनकार करने	

के कारण ये तीनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपने तर्को में कथन किया गया है कि विवादित वस्तुयें टैबलेट के साथ टैबलेट बैट्री एवं टैबलेट चार्जर तथा लेपटॉप के कम्पोजिट बैगपैक की बिक्री के साथ लैपटॉप बैट्री एवं लेपटॉप चार्जर/एडोप्टर की बिक्री की बिक्री 5 प्रतिशत की दर से बिक्री की गई है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वस्तुओं की बिक्री को 14 प्रतिशत से कर योग्य मानकर मांग सृजित की गई है,जो विधि सम्मत नहीं है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशियों पर स्थग्रन प्रदान करते हुए शेष राशि रू. 8,57,454/–,19,87,418/– एवं 35,61,462/–की वसूली रोक लगाने से इनकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अपने स्थगन आदेशों में अंकित नहीं किया है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष होने का का कथन करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश में विवादित शेष राशियों रू. 8,57,454/–, 19,87,418/– एवं 35,61,462/– को स्थगित करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी–पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्रों का विरोध किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे ज्ञात होता है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी प्रकरण में विवादित टैबलेट के साथ टैबलेट बैट्री एवं टैबलेट चार्जर तथा लेपटॉप के कम्पोजिट बैगपैक की बिक्री के साथ लैपटॉप बैट्री एवं लेपटॉप चार्जर/एडोप्टर **नाम वस्तु की, कर की दर का विवाद अपीलों में अंतर्ग्रस्त (involve) है**। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना पत्रों में स्थगन हेतु आवेदित राशियों को पूर्ण रूप से स्थगित नही करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विधिक कारण अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं कर स्थगन आवेदन पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलीय अधिकारी के आदेश में विवादित शेष राशियों रू. 8,57,454/–, 19,87,418/– एवं 35,61,462/–के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर वसूली कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।

29-12-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य